

न्यायालय उपखण्ड ..... अधिकारी ..... कटूमर जिला अलवर



तारीख रजु.....

2/190/19

बनाम

केलादेवी वगैरा

रामफूल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2019	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की तारीख में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ज अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी /तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख न. 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 109, वाके ग्राम डहरीनदांतबाड तहसील कटूमर के विवादीत आराजीयात मे मौके यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 05.12.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 05.12.2019 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      कटूमर (अलवर)                 </p> <p>                     5 12/19                      20/10 21/10                      साबिक आदेश दिनांक 21/10/19                      की पालना में प्रार्थनी वास्ते ल वाक                      दिनांक 20/2/20 को पेश हो RA आवेदन 22                 </p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      कटूमर (अलवर)                 </p> <p style="text-align: right;">987 5/11/19</p>	

20.2.20

कुवाय करीफेन 190/P.C  
 राहब 10 21/10/19  
 राबवदी दिनांक 9/11/20  
 को पेश हो।

2

